# अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

## आदेश फलक

वाद संख्या :– 19/ वि०वा०वि०/2022-23

नाम :– मनोज सिंह कुंटिया
पिता :– स्व० केदनाथ सिंह कुंटिया
मौजा :– चिरची

| दिनांक | आदेश | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 29/6/22 | आज दिनांक 29/6/22 को आवेदक मनोज सिंह कुंटिया, पिता– स्व० केदनाथ सिंह कुंटिया, ग्राम– चिरची के द्वारा मौजा चिरची थाना सं०– 143. खाता सं०– 47, प्लॉट सं०– 303, रकवा– 0.13 ए०, किस्म जमीन मकान सहन में विवाद के संबंध में मकान बंटवारा विवाद समाधान हेतु आवेदन किया गया है<br><br>अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 13/7/22 तक करें।<br><br>अभिलेख दिनांक– 13/7/22 को उपस्थापित करें।<br><br>29/6/22<br>अंचल अधिकारी<br>तांतनगर। | |
| 13/7/22 | अभिलेख उपस्थापित।<br>ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि<br>(1) मौजा चिरची थाना नं०-143 खाता-47 प्लॉट-303 रकबा-0.13 ए० किस्म जमीन मकान सहन प्लॉट-304 | |

रकबा - 0.07 ए० किस्म जमीन गोड़ा एक है। खतियान में चावरा है, मनाथ हो, भारा हो सिंह - के इजाल हो ~~सम~~ एवं अन्य का नाम की है।

(ii) मनोज सिंह कुंटिया द्वारा शिकायत किया गया है कि प्लॉट 303 में निर्मित मकान एवं खलिहान पूर्व में बंटवारा किया गया था परन्तु कृष्ण सिंह कुंटिया के द्वारा संपूर्ण घर पे ~~क~~ कब्जा किया जा रहा है एवं प्लॉट 303 के बगल वाले प्लॉट 304 जिसमें पूर्व से ही ~~[illegible]~~ हमारे खानदान के पूर्व व्यक्तियों की समाधि बनाई हुई उक्त प्लॉट पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त विषय के संबंध में ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मनोज सिंह कुंटिया, कृष्ण सिंह कुंटिया एवं कुअर राम(?) सिंह कुंटिया तीन भाई है। पूर्व में पूर्वजों के द्वारा द्वारा बनाये ~~क~~ गये घर मकान का ~~ब~~. सबसे बड़े भाई मनोज सिंह कुंटिया और उनसे छोटे भाई कृष्ण सिंह कुंटिया के बीच बंटवारा की गई थी इसमें मंझले भाई कुलराम(?) सिंह कुंटिया द्वारा अपनी हिस्सेदारी नहीं ~~[illegible]~~ मांगी गई उनके द्वारा अन्य जगह पर घर बना ली गई। पूर्व के बंटवारा में यह निश्चय ली गई थी कि भविष्य में मनोज सिंह कुंटिया द्वारा कहीं अन्य जगह पर घर बना लिया जायेगा तो पूर्व में बने एक कमरा जो बंटवारा में मनोज सिंह को ~~क~~ दी गई है अपने छोटे भाई कृष्ण सिंह कुंटिया को दे दी जायेगी परन्तु वर्तमान में मनोज सिंह कुंटिया द्वारा ~~क~~ प्लॉट 303 पर अन्य घर बना लिया गया लेकिन पूर्व के लिये निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया। प्लॉट 304 के अतिक्रमण के संबंध में अंचल अमीन द्वारा उक्त प्लॉट का पैमाइश की जाये ताकि प्लॉट 304 के अतिक्रमण का जाँच किया जा सके।

ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्ष को दिनांक - 20/7/22 को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख 20/7/22 को उपस्थापित करें।

— [signature]

20/7/22 अभिलेख उपस्थापित।
दिनांक 20/7/22 को दोनों पक्ष एवं ग्रामीण मुखिया उपस्थित
हुए। सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई राजस्व उप निरीक्षक
के एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात
इस संबंध में ग्रामीण मुखिया चिरची द्वारा जानकारी दी गई
कि पूर्व में निर्णय ली गई थी कि मनोज सिंह कुटिया द्वारा
अन्य घर बनाये जाने पर ~~पूर्वजों~~ पूर्वजों का निर्मित
एक कमरा छोटे भाई कृष्ण सिंह कुटिया को दी जायेगी।
इस पर ग्रामीण मुखिया एवं दोनों पक्ष को निर्देश दी
गई कि पुनः ग्रामसभा कर घर एवं अन्य खेती वाली
जमीन का नियमानुसार बंटवारा करें। अंचल अमीन को आदेश
दी गई कि प्लॉट 304 में अतिक्रमण के संबंध स्थलजांच
पर जाकर जाँच करें एवं 3/8/22 तक जाँच प्रतिवेदन दें।

अभिलेख दिनांक 3/8/22 को उपस्थापित करें।

[signature] 20/7/22

3/8/22 अभिलेख उपस्थापित।
अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है अतः पुनः जाँच
प्रतिवेदन की मांग की गई।

अभिलेख दिनांक 17/8/22 को उपस्थापित करें।

[signature] 3/8/22

17/8/22 अभिलेख उपस्थापित।
अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ उनके द्वारा
स्थलजांच पर जाकर मौजा- चिरची खाता- 47 प्लॉट 304
कुल रकबा- 0.07 ए० [illegible] जमीन जोड़ा का पढ़तालकर
चिन्हित की गई। कृष्णा सिंह कुटिया द्वारा देहाती की झोपड़ी
बनाई गई थी वह झोपड़ी 304 में नहीं बल्कि 303 में ही
बनी हुई है। इस पर अभी प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष
दोनों ने सहमति जाहिर की और किसी प्रकार का
आपत्ति जाहिर नहीं की। पुनः दोनों पक्ष और ग्रामीण

दोनो पक्ष को 7/9/22 को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 7/9/22 को उपस्थापित करें।

ह० [illegible]/22

7/9/22 अभिलेख उपस्थापित!

दिनांक 7/9/22 को दोनो पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित नही हो पाये इसे पुनः 11/10/22 को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 11/10/22 को उपस्थापित करें।

ह० 7/09/22

11/10/22 अभिलेख उपस्थापित!

दिनांक 11/10/22 को ग्रामीण मुण्डा एवं दोनो पक्ष उपस्थित हुए परन्तु अंचल अधिकारी का किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण सुनवाई नही हो पाई पुनः 16/11/022 को सुनवाई हेतु दोनो पक्ष को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 16/11/022 को उपस्थापित करें।

ह० 11/10/22

16/11/22 अभिलेख उपस्थापित!

दिनांक 16/11/022 को ग्रामीण मुण्डा एवं दोनो पक्ष उपस्थित हुए दोनो पक्ष का बयान लिया गया। दोनो पक्ष ने कहा कि प्लॉट 304 में विवाद के संबंध में अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन से दोनो पक्ष सहमत हैं और प्लॉट 303 एवं अन्य खेती भूमि का [illegible] दोनो पक्ष सहमत है अतः अंततः दोनो पक्ष को शांति व्यवस्था कायम रखने का आदेश देते हुए सुनवाई प्रक्रिया समाप्त की गई।

ह० 16/11/22

Digitally signed by ANOJ KUMAR
Date: 2025.06.04 16:20:27 +05:30
Location: 192.168.158.171